

संख्या-1/33/2007-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

133a1

21-07-08

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 14 नवम्बर, 2007

कार्यालय जापन

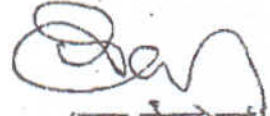
2017
80-5-2008

विषय: रिकार्डों को अद्यतन बनाना - द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि रिकार्डों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 यह अधिदेशित करता है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी रिकार्डों को समुचित रूप से लिखा बद्ध और सारणी बद्ध रूप में रखे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी प्रथम रिपोर्ट (जून, 2006) 'सूचना अधिकार-सुशासन की मास्टर कुंजी' में यह टिप्पणी की है कि हमारी सूचना प्रणाली में रिकार्ड कीपिंग को नजरान्दाज रखा सबसे कमजोर लिंक है। आयोग ने यह सिफारिश की है कि एकबारगी उपाय के रूप में भारत सरकार, रिकार्डों को अद्यतन बनाने, आधारभूत संरचना में सुधार लाने, मैन्युअल बनाने और लोक रिकार्ड कार्यालय स्थापित करने के लिए पाँच वर्ष की अवधि के लिए सभी आधारभूत कार्यक्रमों की निधियों का 1% हिस्सा चिह्नित करे।

रिकार्डों का रख-रखाव और अद्यतन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा निर्वहन किया जाना अपेक्षित है। आधारभूत संरचना में सुधार करना और आवश्यक मैन्युअल तैयार करना भी सतत प्रक्रियाएँ हैं जो संबंधित लोक प्राधिकारियों की जिम्मेवारी है। सभी लोक प्राधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपने संसाधनों से अपने रिकार्डों को अद्यतन करें, उनकी आधारभूत संरचना में सुधार लाएं और आवश्यक मैन्युअल तैयार करें। वे अपनी आवश्यकतानुसार स आशय के लिए विशिष्ट बजटीय प्रावधान कर सकते हैं।

3. इस कार्यालय जापन की विषय-वस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।


(कृष्ण गोपाल चंद्रा)
निदेशक

वेब में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/निर्वाचन आयोग।
3. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग।

प्रति प्रेषित : सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।